परिपत्र संख्या-स्था-1/2013-2014/ 4053 / वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनॉक 12 , दिसम्बर, 2013

1-समस्त एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-1, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
2-समस्त एडीशनल कमिश्नर,ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
3-समस्त ज्वाइण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
4-समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
5-समस्त असिस्टेण्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
6-समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, उ0प्र0।

सरकारी कर्मियों द्वारा प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन दिये जाने के सम्बन्ध में उ0प्र0सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली, 1956 के नियम-27-क में निम्न व्यवस्था प्रतिस्थापित है :-

नियम-27-क - "कोई सरकारी कर्मचारी सिवाय उचित माध्यम से और ऐसे निर्देशों के अनुसार, जिन्हें सरकार समय-समय पर जारी करे, व्यक्तिगत रुप से या अपने परिवार के किसी सदस्य के माध्यम से सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी को कोई अभ्यावेदन नही करेगा।"

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि समस्त अधिकारियों से उचित माध्यम से ही प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन प्रेषित किये जाने की व्यवस्था प्रख्यापित है, परन्तु प्राय: यह देखा जाता है कि अधिकॉश अधिकारी अपना प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन लेकर सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष उपस्थित हो जाते है। यह स्थिति कदाचित उचित नही कही जा सकती है और कर्मचारी आचरण नियमावली का स्पष्ट एवं दण्डनीय उल्लंघन है।

अत: इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि डिप्टी कमिश्नर स्तर तक के अधिकारियों के अभ्यावेदन ज्वाइण्ट कमिश्नर के माध्यम से तथा ज्वाइण्ट कमिश्नर एवं एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 से सम्बन्धित अभ्यावेदन जोनल एडीशनल कमिश्नर के माध्यम से ही मुख्यालय प्रेषित किये जायें। अग्रसारित करते समय ज्वाइण्ट कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1 द्वारा प्रत्यावेदन / अभ्यावेदन में उल्लिखित तथ्यों / आधारों पर अपना मन्तव्य अवश्य अंकित किया जाय, ताकि गुण-दोष पर निर्णय लिया जा सके।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भविष्य में इन निर्देशों का उल्लंघन क्षम्य न होगा।

10.12.2013
(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।